

देश के मेंटर कार्यक्रम: दिल्ली सरकार

प्रलिस के लयि:

एनसीपीसीआर, पॉक्सो एक्ट, शकषा से संबधति योजनारूँ।

मेन्स के लयि:

देश के मेंटर कार्यक्रम का महत्त्व और बच्चों की सुरक्षा से संबधति मुददे।

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग \(NCPDR\)](#) ने सुझाव दया कऱ दिल्ली सरकार अपने प्रमुख 'देश के मेंटर' कार्यक्रम को तब तक के लयि स्थगति कर दे, जब तक कऱ बच्चों की सुरक्षा से संबधति सभी खामयिों को दूर नहीं कया जाता।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग:

- NCPDR का गठन मार्च 2007 में 'कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स' (Commissions for Protection of Child Rights-CPCR) अधनियम, 2005 के तहत एक वैधानकऱ नकऱय के रूप में कया गया है।
- यह महिला एवं बाल वकऱस मंत्रालय के प्रशासनकऱ नर्यऱरण में कारयरत है।
- आयोग का अधदेश (Mandate) यह सुनश्चितऱ करता है कऱ सभी कानून, नीतयिों, कार्यक्रम और प्रशासनकऱ तंत्र भारत के संवधऱन में नहऱतऱ बाल अधिकार के प्रावधऱनों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों।
- यह [शकषा का अधिकार अधनियम, 2009](#) (Right to Education Act, 2009) के तहत एक बच्चे के लयि मुफ्त एवं अनवरऱय शकषा के अधिकार से संबधति शकऱयतों की जाँच करता है।
- यह [लैंगकऱ अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधनियम, 2012](#) [Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012] के कारयान्वयन की नगरऱनी करता है।

प्रमुख बडु

- देश के मेंटर कार्यक्रम के बारे में:
 - इसे अकतुबर 2021 में लॉन्च कया गया था, जसऱका उददेश्य नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों को स्वैच्छकऱ सलाहकारों (Voluntary Mentors) से जोडना था।
 - दिल्ली टेकनोलॉजकऱल यूनवरसऱटी की एक टीम दवारा बनाए गए एप के माधयम से 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग मेंटर बनने हेतु साइन अप कर सकते हैं, जो कऱ आपसी हतऱों के आधार पर छात्रों से जुडे रहेंगे।
 - मेंटरशपऱ में कम-से-कम दो महीने के लयि नयऱमति फोन कॉल शामिल हैं, जसऱसे वैकल्पकऱ रूप से अगले चार महीनों तक चलाया जा सकता है।
 - इस वचऱर का उददेश्य युवा मेंटरस को उच्च शकषा और कॅरयऱर वकऱल्पों जैसे मामलों में छात्रों को मार्गदर्शन के लयि प्रेरति करना है, ताकऱ वे बेहतर ढंग से उच्च शकषा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकें और दबाव मुक्त हो सकें।
 - अब तक 44,000 लोगों ने मेंटर के रूप में साइन अप कया है, जो कऱ 1.76 लाख बच्चों के साथ काम कर रहे हैं।
- NCPDR दवारा उटाई गई चतऱएँ:
 - बच्चों को केवल समान लगी के मेंटर के साथ जोडना ही दुरव्यवहार से उनकी रक्षा करने का उपाय नहीं है।
 - मेंटर के **पुलसऱ सतयऱपन का अभाव**।
 - साइकोमेट्रकऱकऱ टेस्ट कसऱी भी बच्चे के लयि संभावति खतरे के संदर्भ में **कसऱी वयक्तऱकऱ पूर्ण प्रमाण मूल्यांकन नहीं है**।
 - बातचीत को फोन कॉल तक सीमति करना भी बच्चों की सुरक्षा सुनश्चितऱ नहीं करता है क्योँकऱ **'बच्चे से संबधति अपराध फोन कॉल के माधयम से भी शुरू कयऱ जा सकते हैं'**।
 - बच्चों को ऐसी स्थतऱयिों से बचाने की ज़मऱमेदारी और जवाबदेही वधऱग की होती है। कसऱी भी अपरयऱ घटना की स्थतऱतऱ में माता-पतऱ की सहमतऱकऱ उपयोग के रूप में नहीं कया जा सकता है।

स्रोत; इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/desh-ke-mentor-programme-delhi-government>

